भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *36
दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

नाबालिगों द्वारा आपराधिक घटनाएं

***36 # श्री नीरज डांगी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नाबालिगों द्वारा की जाने वाली आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी एक चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबालिग अपराधियों के संबंध में कमजोर कानून व्यवस्था इसका मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड का कोई प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

****

श्री नीरज डांगी द्वारा ''नाबालिगों द्वारा आपराधिक घटनाएं'' विषय पर पूछे गए दिनांक 23.07.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध संबंधी सूचना संकलित करता है तथा ''भारत में अपराध'' (क्राइम इन इंडिया) नामक अपने प्रकाशन में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। 2021-2022 के दौरान, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) के अन्तर्गत
दर्ज मामलों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है **।**

(ग) और (घ): सरकार ने बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों का समाधान करने और उन्हें रोकने के लिए कानून के अन्तर्गत कठोर प्रावधान करते हुए कई उपाय किए हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) देखरेख और संरक्षण(सीएनसीपी) की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए प्रमुख कानून है।

इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर कानूनी संरचनाओं के सृजन का प्रावधान है जिनमें राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। इसमें बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना का भी प्रावधान है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) में ''विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों'' को ऐसे बच्चों के तौर पर परिभाषित किया गया है जो आरोपित हैं या जिन्होंने कोई अपराध किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उनकी उम्र अठारह वर्ष पूरी नहीं हुई है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 10 से 26 में बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों का समाधान करने के तौर तरीकों का उल्लेख है। किशोर द्वारा घृणित अपराध करने पर, जेजे अधिनियम की धारा 15 में अपराध करने के लिए बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध करने के परिणामों को समझने में उसकी सक्षमता और उन परिस्थितियों जिनमें कथित अपराध किया गया है, का प्रारंभिक आकलन करने का प्रावधान है। ऐसे आकलन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। इस तरह, जेजे अधिनियम की धारा 4(i) के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से ''मिशन वात्सल्य'' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें

देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सेवाएं देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सेदारी पहले से निर्धारित है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहता है ताकि जेजे अधिनियम और नियमों के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चत हो सके।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) देश में किशोर न्याय को संचालित करने वाले व्यापक कानून के तौर पर कार्य करता है। इस व्यापक कानून में केवल विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता बल्कि इसमें असुरक्षित बच्चों की देखरेख, सरंक्षण और पुर्नवास का भी प्रावधान है।

जेजे अधिनियम और ''मिशन वात्सल्य'' योजना को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की है। इसके अतिरिक्त, ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और इसलिए कानून व्यवस्था कायम रखना तथा अपराधों की जांच करना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

****

अनुलग्नक

वर्ष 2021-2022 के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा विशेष एवं स्थानीय कानून के तहत दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021	2022
1.	आंध्र प्रदेश	934	912
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	15
3.	असम	206	246
4.	बिहार	732	1052
5.	छत्तीसगढ़	2004	2356
6.	गोवा	9	25
7.	गुजरात	1804	1558
8.	हरियाणा	1172	1164
9.	हिमाचल प्रदेश	187	163
10.	झारखंड	51	123
11.	कर्नाटक	527	558
12.	केरल	328	443
13.	मध्य प्रदेश	5684	3795
14.	महाराष्ट्र	4554	4406
15.	मणिपुर	11	9
16.	मेघालय	60	68
17.	मिजोरम	33	48
18.	नागालैंड	7	5
19.	ओडिशा	1334	1163
20.	पंजाब	311	452
21.	राजस्थान	2757	3063
22.	सिक्किम	7	7
23.	तमिलनाडु	2212	2607
24.	तेलंगाना	1152	1096
25.	त्रिपुरा	16	33
26.	उत्तर प्रदेश	1330	1505
27.	उत्तराखंड	60	151
28.	पश्चिम बंगाल	551	577
29.	अंडमान और निकोबार	11	24
30.	चंडीगढ़	54	80
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	18	44
32.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2643	2340

33.	जम्मू और कश्मीर	323	361
34.	लद्दाख	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0
36.	पुद्दुचेरी	80	106
	कुल	**31170**	**30555**

*****